न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 63
दायरा तिथि : 21.01.2025
आदेश तिथि : 14-05-2025
प्रार्थी :–

हनुमान प्रसाद मीना पुत्र धनपाल मीना जाति मीना निवासी भदलाव सवाई माधोपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. स्व. चतराराम पुत्र रामाराम के कामु
   अ. हंसाराम पुत्र चतराराम
   ब. हंजा पत्नी चतराराम जातिगण भील निवासी कोठार
2. स्व. जती पत्नी अनाराम के कामु
   अ. स्व. मगाराम पुत्र अनाराम के कामु
   1. लहरीदेवी पत्नी मगारामजी भील निवासी कोठार
3. स्व. नरसाराम पुत्र हरताराम के कामु
   अ. लुम्बाराम पुत्र नरसाराम
   ब. मोहनलाल पुत्र नरसाराम
   स. सोमाराम उर्फ होमाराम पुत्र नरसाराम जातिगण भील निवासीगण कोठार
4. हीरीदेवी पत्नी कपूराराम भील निवासी कोठार तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 14-05-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 114 रकबा 1.28 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 113 रकबा 0.3200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1136 दिनांक 13.05.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	113	.0.32 हैक्टर	बारानी दोयम	38X9=342 वर्गमीटर	चतराराम पुत्र रामाराम वगैरा

5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख नाना द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 151310/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/63
आवेदक हनुमान प्रसाद मीना बनाम रा. राजस्थान के मार्फत तहसीलदार बाली
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 114 रकबा 1.28 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 114 रकबा 1.28 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 113 रकबा 0.32 हैक्टर में से **342 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 151310/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
113	0.32 हैक्टर	38X9=342 वर्गमीटर	16	5472X2=10944	1. चतराराम पुत्र रामाराम हि. 1/2 2. जती पत्नी अनाराम हि. 1/12 3. नरसाराम पुत्र हरताराम हि. 1/6 4. मगाराम पुत्र अनाराम हि. 1/12 5. हिरी देवी पत्नी कपूराराम हि. 1/6 जातिगण भील निवासीगण कोठार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 10944/– (अक्षरे दस हजार नौ सौ चौवालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली,जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली
अपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ 519 – 523
दिनांक : 14-5-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक हनुमान प्रसाद मीना पुत्र धनपाल मीना जाति मीना निवासी भदलाव सवाई माधोपुर को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

ततरा नवशा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/01/2025 05:47:59 PM

जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : नाना

पटवारी हल्का : कोठार

ग्राम : कोठार

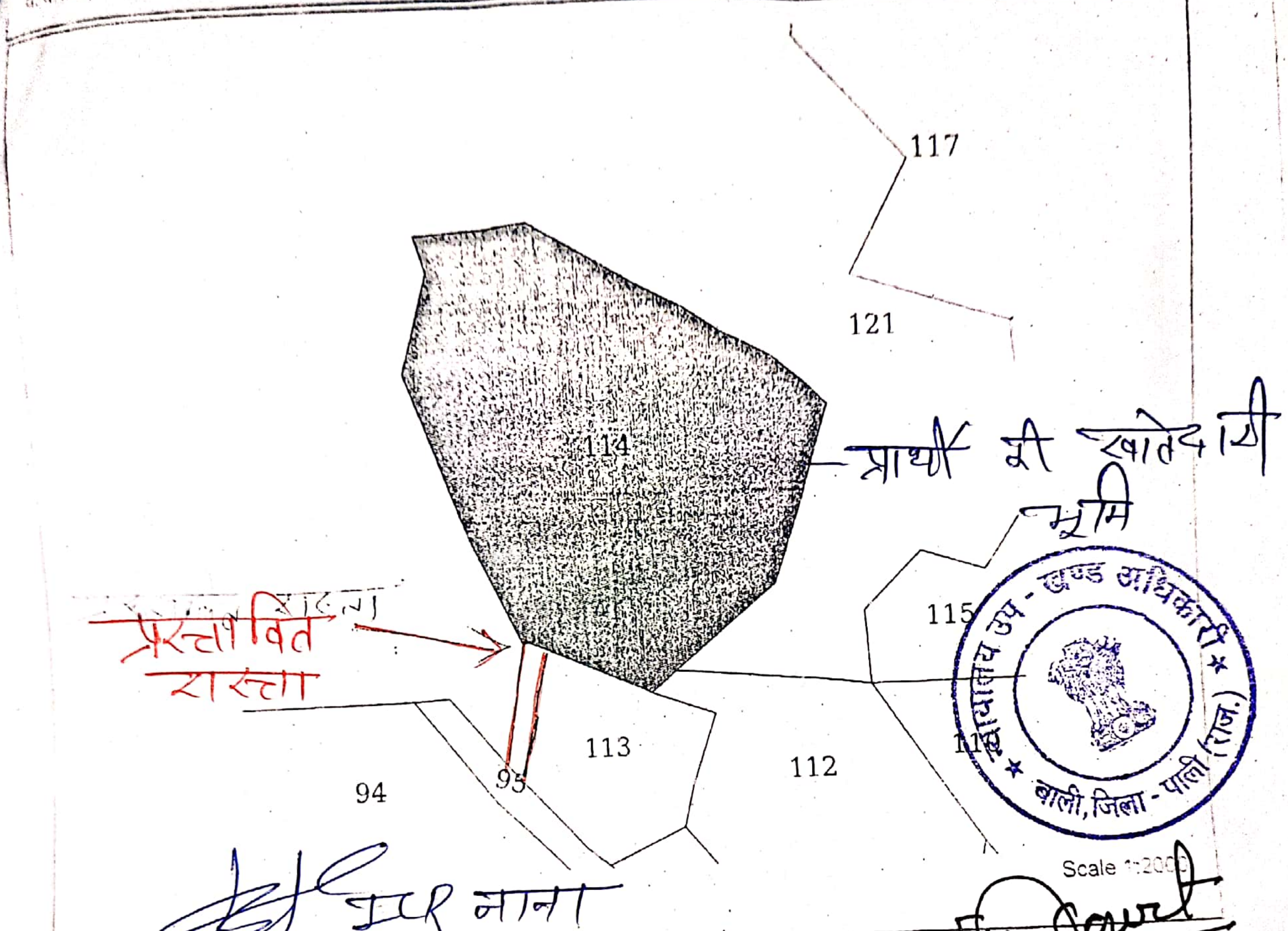

ILR नाना

Ex-Court

खसरा संख्या :114 क्षेत्रफल : 1.2800 Hectare खाता संख्या : 169पुराना खाता संख्या :174

भूमि किस्म[रकबा लगान]: बारानी दोयम [1.2800, 6.40]

हनुमान प्रसाद मीना पुत्र धनपाल मीना हिस्सा- पूर्ण जाति- मीना मकान संख्या- 0, कॉलोनी- भदलाव , क्षेत्र/स्थान- भदलाव , शहर- भदलाव , पिन

कोड- 322029, जिला - SAWAI MADHOPUR,राज्य- RAJASTHAN खातेदार

सहायक कलक्टर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी,बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

तहसीलदार,बाली

नोट 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी हेतु है।

2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with CamScanner